उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-6/2016/1/3/2011-का-4-2016

लखनऊ : दिनांक : 20 जून, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2011, दिनांक 30.11.2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2013, दिनांक 11.10.2013 के अनुक्रम में राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग के पदों का संवर्गीय ढांचा लिपिक संवर्ग के समान निर्धारित किए जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को सन्दर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद की अनुमन्यता हेतु 15 वर्ष की सेवा के प्रतिबन्ध को यथावत रखा जाए।

(2) उर्दू अनुवादक संवर्ग में तृतीय स्तर का पद उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक उपलब्ध कराने हेतु 09 वर्ष की सेवा के स्थान पर 06 वर्ष की सेवा निर्धारित किया जाए। साथ ही इस पद हेतु 30 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए, शतप्रतिशत पदों पर उक्त लाभ दिया जाए।

(3) उक्त निर्णयों के अनुसार उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11.10.2013 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-3 एवं 4 को अतिक्रमित करते हुए, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक का संवर्गीय ढांचा निम्न तालिका के अनुसार होगा:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रूपये में)	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4
1.	उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक	(1) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 1900/- (2) दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू. 2000/-	सीधी भर्ती- उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक की सेवा नियमावली, 1994 की व्यवस्था को पूर्ववत् बनाए रखा जाए।
2.	उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1, रू. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू. 2800/-	15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ पद सहित रू. 2800/- के ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किया जाए कि पद रिक्त होने पर रिक्तियां प्रथम स्तर की मानी जायेंगी।

http://basanadesh.up.nic.in

3.	उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड-2, रू. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200/-	06 वर्ष की उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद पर संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ पद सहित रू. 4200/- के ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किया जाए कि पद रिक्त होने पर रिक्तियां प्रथम स्तर की मानी जायेंगी।

2. कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-389/दस-2016, दिनांक 17 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/2011-का-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in